भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3082

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

दिल्ली गोल्फ क्लब के सदस्यों का नामांकन

†3082. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दिल्ली गोल्फ क्लब के स्थायी सदस्य बनने के लिए संस्था के ज्ञापन/आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार "आउट ऑफ टर्न" श्रेणी के अंतर्गत व्यक्तियों को नामित करती है;

(ख) 2007 से अब तक वर्ष-बार नामित व्यक्तियों के नाम और उनकी स्थिति क्या है;

(ग) पुष्टिकरण एवं संशोधन विलेख के अनुसार "आउट ऑफ टर्न" श्रेणी के अंतर्गत स्थायी सदस्य के रूप में नामित करने हेतु क्या मानदंड और प्रक्रिया है और संबंधित खंड और वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दिल्ली गोल्फ क्लब के "आउट ऑफ टर्न" श्रेणी के तहत सदस्यों के नामांकन के लिए पुष्टिकरण एवं संशोधन विलेख के अनुसार कोई विज्ञापन जारी किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): दिल्ली गोल्फ क्लब की स्थापना 1930 के दशक के प्रारंभ में एक नगरपालिका कोर्स के रूप में हुई थी और इसे पहले लोधी गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता था। दिल्ली गोल्फ क्लब, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। दिल्ली गोल्फ क्लब अपने संगम ज्ञापन/संस्था के अंतर्नियम आदि के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन स्वयं करता है और उसी के अंतर्गत सदस्यता भी प्रदान करता है।

*****